Notice to Indian High Commission in London

2741. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether as reported in the Economic Times of 26th August, 1993 it is a fact that the Indian High Commission in UK has been served with a notice to pay $ 20m or to vacate the premises occupied by it in London;

(b) if so, in what circumstances such a high arrear of rent has been comulated; and

(c) what steps have since been taken to settle the issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) The Indian High Commissioner in London is residing at 9, Kensington Palace Gardens which was taken on lease in 1949. The lease expired on 5th April, 1990. The property is Crown Estate property and is administered by Crown Estate Commissioners under the local Crown Estates Act, 1961, which requires the Commissioners to follow commercial principles. On the expiry of the lease, the Crown Estate Commissioners intimated, *inter alia*, the monetary terms for the renewal of lease for a period of 62 years from 5.4.1990 to 4.4.2052 amounting to Ponds 20.45 million or vacation of premises.

(b) Pending renewal of the lease, the Crown Estate Commissioners have demanded payment of Pounds S.OO.fXXK per annum w.e.f. 5.4.1990. Hence, rent arrears, even as per the Crown Estate's calculations from 5.4.90 to present, work out to Pounds 1,075,000/- only.

Owing to the very steep increase demanded by the Crown Estate for the renewal of the lease for our High Commissioners residence in London, no satisfactory solution has been found. All options, including the purchase of alternative accommodation for the Hig Commissioner are being considered.

(c) Arrears of rent would be settle as a part of a comprehensive solution.

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा की इच्छा

2742. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के 2 नवम्बर, 1993 के "दि टेलीग्राफ" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पाकिस्ता की प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने दिल्ली आने और परमाणु सम्बन्धी विषयों पर बातचीत करने की उत्सुकता जताई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरका की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर एल॰ भाटिया): (क) और (ख) सरकार ने 21 नवम्बर, 1993 के "द टेलीग्राफ" में छपी यह खबर देखी है जिसमें पाकिस्तान की प्रधान मंत्री के हवाले से यह कहा गया है कि वे नई दिल्ली आने को तैयार हैं बशर्ते उन्हें पाकिस्तान के मसले पर भारत के साथ सार्थक बातचीत की संभावना नजर आए।

24 नवम्बर, 1993 को भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों द्वारा जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत पुनः शुरू की जाएगी। यह बातचीत 1—3 जनवरी, 1994 तक इस्लामाबाद में होगी और उम्मीद है कि इसके दौरान द्विपक्षीय मसलों पर व्यापक बातचीत होगी। इन मसलों में जम्मू कश्मीर के मसले के सभी पहलू भी शामिल होंगे।

भारतीय सेना की वर्दी में पाकिस्तान के आई॰ एस॰आई॰ कर्मचारियों द्वारा कश्मीरी आतंकवादियों की सहायता

2743. **श्री शांति त्यागी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया

है जिसमें अमरीकी सदन की रिपब्लिकन अनुसंधान समिति के कार्यबल का हवाला देकर कहा गया है कि पाकिस्तान की गुप्तचर सेवा ने एक विशेष सैन्य बल का गठन किया है जिसके सैनिक भारतीय सैनिकों की वर्दी जैसी वर्दी में होंगे और बड़ी कार्यवाही में कश्मीरी उग्रवादियों की मदद करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी हां।

(ख) सरकार भारत की सुरक्षा से संबद्ध सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है। सरकार ने इस रिपोर्ट का विस्तृत ब्यौरा हासिल कर लिया है। सरकार अन्य देशों को, जिनमें अमरीका भी शामिल है, निरंतर अवगत कराती रहती है कि भारत में आतंकवाद का पाकिस्तान की ओर से बराबर शस्त्र, उपकरण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में समर्थन मिल रहा है। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से "छद्मयुद्ध" की स्थिति को उजागर किया है। भारत की प्रादेशिक एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के प्रति सरकार निरन्तर वचनबद्ध है।

Dutch Prime Minister's Visit to India

2744 SHRI DIGVIJAYA SINGH:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVTYA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that during his recent visit to India the Dutch Prime Minister had asked the Government to give International Human Rights Organisation including the International Red Cross access to Kashmir to make an assessment of the situation in the valley; and

(b) if so, whether Government have agreed to the suggestion made by the Dutch Prime Minister?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) During meetings with the External Affairs Minister and the Home Minister, the Dutch Foreign Minister accompanying his Prime Minister urged greater access to international human rights organisations including ICRC *to* Kashmir.

(b) Government have responded by indicating the status of their dialogue with various international human rights organisations, including ICRC, taking place on thit question.

भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों की संख्या कम करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का सुझाव

2745. **श्री अजीत जोगी:**
चौधरी हरि सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वहां कर्मचारियों की कम संख्या के कारण वीजा जारी करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री आर० एल० भाटिया): (क) और (ख) राजनयिक/कोसली कार्मिकों के प्रति व्यवहार से संबद्ध आचार संहिता की अपनी इकतरफा व्याख्या के आधार पर पाकिस्तान ने हमें 29.12.1992 को अपने इस निर्णय की सूचना दी कि कराची में भारत के प्रधान कोसलावास के कार्मिकों की संख्या अधिक से अधिक 20 होनी चाहिए।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से यह बात कही कि उसका इकतरफा निर्णय आचार संहिता की भावना के अनुरूप नहीं है और इसलिए अस्वीकार्य है। लेकिन पाकिस्तान प्राधिकारियों के जिद करने पर भारत के कराची स्थित प्रधान कोसलावास में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 20 कर दी गई थी और तदनुसार पाकिस्तान से यह कहा गया था कि वह अपने पाकिस्तानी अमले की भी संख्या कम कर दे जिससे कि एक-दूसरे के देश में स्थित भारतीय और पाकिस्तानी मिशनों में अमले की संख्या बराबर ही रहे। यह कर दिया गया।